संख्या : 237 /IV(1)/2008–02(कुम्भ)/2008

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव/उपाध्यक्ष,
कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था समिति/
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक :29 मार्च, 2008

विषयः यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चीला बैराज मोटर मार्ग में बीन नदी पर दो लेन आर.सी.सी. सेतु के निर्माण हेतु धनराशि के निवर्तन पर रखी धनराशि से व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 106/कु.मे.–2010/आगणन दिनांक 06दिसम्बर, 2008 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा (पौड़ी) के द्वारा, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चीला बैराज मोटर मार्ग में बीन नदी पर दो लेन आर.सी.सी. सेतु के निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन रू. 926लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त अनुमोदित रू. 809.20लाख की लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए, शासनादेश संख्या भा.स.–01/IV(1)/2008–39(सा.)/2006–टी.सी. दिनांक 08.02.2008 के द्वारा निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू. 4980.97लाख के सापेक्ष, वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू. 20लाख (रू. बीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त कार्ययोजना राजाजी नेशनल पार्क के अन्तर्गत होने के कारण व्यवस्थानुसार प्रथमतः मा. सर्वोच्च न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त की जाए और यदि दिनांक 31–03–2008 तक यह स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो व्यय वित्त समिति की संस्तुतिनुसार उक्त धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

2. कार्ययोजना पर इस प्रतिबन्ध के साथ सहमति दी जाती है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं संबंधित पक्षों की स्वीकृति/सहमति पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किए जाएं। योजना पर धनराशि का व्यय उपरोक्त सहमति उपरान्त ही किया जाए।

3. मा. सर्वोच्च न्यायालय से सहमति प्राप्त न होने की दशा में योजना हेतु स्वीकृत धनराशि को राजकोष में वापस जमा किया जाए।

4. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

5. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।

7. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।

11. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।

12. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।

13. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।

14. सचिव/उपाध्यक्ष, कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था समिति/हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पद हेतु आहरण वितरण कोड आवंटित न होने के कारण उक्त धनराशि का आहरण जिलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरन कोड से किया जाएगा।

15. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08.02.2008 के अनुसार होंगे।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 285/XXVII(2)/2008 दिनांक 29 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

संख्या :237 (1)/IV(1)/2008 तद्दिनांक। 25/3

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या 622/ई.एफ.सी./नियो./2007—08 दिनांक 20.3.2008 के क्रम में।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग—2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा (पौड़ी)।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनुसचिव।